राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ–226027
e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांकः– 3511 /241/NULM/तीन/2001(SUH) SLMC-III दिनांक 13-1- 2021

मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण/सर्वोच्च प्राथमिकता/महात्वपूर्ण/समयब

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा, उ0प्र0
2 समस्त नगर आयुक्त नगर निगम, उ0प्र0।
3. सी0पी0ओ0/परियोजना निदेशक, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा, उ0प्र0।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परि0/नगर पंचायत उ0प्र0।

विषयः–रिट याचिका संख्या–55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अभिकरण मुख्यालय के पत्रांक 2595 दिनांक 06.11.2020, 2841 दिनांक 26.11.2020, 2909 दिनांक 11.12.2020 एवं 3019 दिनांक 16.12.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वर्तमान शीतकाल के दृष्टिगत आश्रय गृहों के संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के साथ ही मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार आश्रय गृहों के संचालन हेतु विगत में भी दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रकरण के मा0 उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका सं0 55/2003 एवं 572/2003 से आच्छादित होने के दृष्टिगत राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। विगत में समिति द्वारा आश्रय गृहों के संचालन की समीक्षा के उपरान्त दिये गये निर्देश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देशों के साथ ही समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए आश्रय गृहों के संचालन हेतु समुचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

13/1/21

(आलोक सिंह)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री बलविन्दर कुमार, IAS, (से.नि.), अध्यक्ष, राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति, शहरी बेघरों हेतु आश्रय, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0।
3. निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
4. श्री संदीप खरे/श्री विनोद यादव, सदस्य राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति, शहरी बेघरों हेतु आश्रय, उ0प्र0।
5. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र की प्रति समस्त अधिशासी अधिकारी, न0प0प0/न0प0 एवं शेल्टर संचालक संस्थाओं को उपलब्ध कराकर अनुपालन सुनिश्चित करायें।
6. सहायक वेबमास्टर सूडा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(आलोक सिंह)
अपर निदेशक